

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(Group-II)

NOTIFICATION

Jaipur, August 24, 1995

No. F. 2 (30) Vidhi/92.—In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Go-Vanshiya Pashu (Vadh Ka Pratished Aur Ast-hayee Pravrajan Ya Niryat Ka Viniyaman) Adhiniyam, 1995 (1955 Ka Adhiniyam Sankhya 23):—

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN BOVINE ANIMAL (PROHIBITION OF
SLAUGHTER AND REGULATION OF TEMPORARY
MIGRATION OR EXPORT) ACT, 1995

(Act No. 23 of 1995)

(Received the assent of the President on the 17th day of August, 1955)

En

Act

to provide for prohibition of slaughter of cow and its progeny and also to regulate temporary migration or export thereof from Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Rajasthan Bovine Animal (Prohibition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) Act, 1995.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "beef" means flesh of bovine animal;

(b) "bovine animal" means and includes cow, calf, heifer, bull or bullock;

- (c) "bul" means an uncastrated male above the age of three years belonging to the species of bovine animal;
- (d) "bullock" means a castrated male above the age of three years belonging to the species of bovine animal;
- (e) "calf" means a castrated or uncastrated male of the age of three years and below belonging to the species of bovine animal;
- (f) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);
- (g) "Competent Authority" means Collector of a District and includes any other officer who may be authorised in this behalf by the State Government by notification in the Official Gazette to exercise the powers and perform the functions of the Competent Authority under this Act or the rules made thereunder for such area or areas and for such period as may be specified in the notification;
- (h) "cow" means a female above the age of three years belonging to the species of bovine animal;
- (i) "Divisional Commissioner" means a Commissioner appointed by the State Government under Section 17 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act No. 15 of 1956);
- (j) "export" means to take out of the State of Rajasthan to any other place out of the State of Rajasthan;
- (k) "famine and scarcity affected area" shall mean an area affected by famine or scarcity in respect of which a declaration has been made by the State Government under an appropriate law by a notification in the Official Gazette;
- (l) "heifer" means a female of the age of three years and below belonging to the species of bovine animal;

- (m) "slaughter" means intentional killing by any method and for any purpose whatsoever;
- (n) "transporter" means and includes,—
- (a) in the case of a goods carriage as defined in the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988),—
 - (i) the owner, if the booking is undertaken under his instruction or with his knowledge;
 - (ii) the person for the time being incharge of the vehicle;
 - (iii) the person for the time being incharge of booking of goods or livestock;
 - (iv) the Managing Director, Executive Director, General Manager or Chief Executive or any other person incharge of business, as the case may be, (where the owner is a company) when the bookings are undertaken under his instruction or with his knowledge;
 - (v) the partner, in the case of a partnership firm, if the booking is undertaken under his instruction or with his knowledge;
 - (b) in the case of Railway Goods Train,—
 - (i) the person for the time being incharge of booking of goods and livestock at a Railway Station; and/or
 - (ii) the person who prepares Railway Receipts at a Railway Station;
 - (c) the consignee to whom the livestock is to be delivered; and
 - (d) in any other case, the person carrying or accompanying the livestock.

3. Prohibition of slaughter of bovine animal.—Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or in any usage or custom to the contrary, no person shall slaughter or cause to be slaughtered or offer or cause to be offered for slaughter any bovine animal.

4. Prohibition of possession, sale or transport of beef and beef products.—Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no person shall possess, sale or transport for sale or cause to be sold or transported beef or beef products in any form.

5. Prohibition of export of bovine animal for the purpose of slaughter and regulation of temporary migration or export for other purposes.—(1) No person shall export and cause to be exported any bovine animal himself or through his agent, servant or other person acting in his behalf from any place within the State to any place outside the State for the purposes of slaughter or with the knowledge that it may be or is likely to be slaughtered.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) temporary migration of bovine animal from the famine and scarcity affected areas of Rajasthan may be allowed by the Competent Authority to other States in India for grazing purposes under a valid permit in the manner prescribed and hereinafter laid down.

(3) Any person residing in any famine and scarcity affected area and desiring migration of any bovine animal shall apply to the Competent Authority having jurisdiction over such area stating the circumstances necessitating the proposed migration together with the number of bovine animals and name of the State or States to which migration is proposed and the period for which the permit is required.

(4) The Competent Authority after satisfying itself about the genuineness of the request of the applicant referred in sub-section (3), may grant him a permit in the prescribed form and manner which among other things may provide for affixing of identification mark before such temporary

migration of bovine animal is allowed out of the State and in no case the period of said migration shall extend beyond the month of August next following the date of grant of the permit.

(5) On return from temporary migration the applicant referred to in sub-section (3), shall inform the Competent Authority in writing about the number of bovine animal brought back by him together with the explanation for variations, if any.

(6) If any person does not bring back such bovine animal into the State and also within the period specified in the permit he shall be deemed to have contravened the provisions of sub-section (1).

(7) The Competent Authority may issue special permit in the prescribed manner for export of bovine animal from Rajasthan for agricultural or dairy farming purposes or for participation in a cattle fair, and before granting such permission the Competent Authority shall also ensure that such export in no way reduces the number of such bovine animal below the level of actual requirement of the local area.

(8) Any applicant referred to in sub-section (3) or any person seeking special permit under sub-section (7), aggrieved by an order of the Competent Authority made under sub-section (4), sub-section (6) or sub-section (7) may make an application, within thirty days from the date of the order, to the Divisional Commissioner and the Divisional Commissioner may upon such application or *suo-motu* call for and examine the record of the case for the purpose of satisfying himself as to the correctness, legality or propriety of any order and may pass such order as it may deem just and proper and such order shall be final and conclusive and shall not be called in question in any civil court.

6. Transporter to be abettor.—Whenever the bovine animals are transported by any means of transport in furtherance of the object of commission of any offence under this Act, the transporter shall be guilty of abetment of the said

offence and shall be liable for the same punishment as is provided under section 8 of the Act for person committing the said offence.

7. Custody and disposal of bovine animal seized.—

(1) Whenever as a result of search or seizure or as a result of inspection or otherwise the bovine animals are seized, the custody of the seized bovine animals pending final disposal of the case may be entrusted by an order of the Competent Authority to any recognised voluntary agency working for the welfare of such animals or to a Gaushala or a Gosadan governed under the provisions of the Rajasthan Gaushala Act, 1960 (Act 24 of 1960) :

Provided that where there is no such voluntary agency or Gaushala or a Gosadan in any local area, the Competent Authority may entrust the custody of bovine animals to any such agency, Gaushala or Gosadan outside the area or to any other suitable person, who volunteers to maintain such animal.

(2) Whenever any case is finally disposed of, further orders regarding custody or permanent entrustment of bovine animal shall be made by the Competent Authority subject to such terms and conditions as may be deemed proper.

(3) Any person aggrieved by an order made under sub-section (1) or sub-section (2) may, within thirty days from the date of the said order, appeal against it to the Divisional Commissioner.

(4) On such appeal the Divisional Commissioner may after giving an opportunity to the appellant and the Competent Authority or any other officer authorised by him in this behalf to be heard, direct the order to be stayed pending disposal of the appeal or may modify, alter or annul the order and make any further orders that may be just.

(5) Whenever any bovine animal is seized under this Act the Competent Authority or the Divisional

Commissioner shall have, and notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, any other court, Tribunal or other Authority shall not have jurisdiction to make orders with regard to possession, delivery, disposal or release of such animal.

8. Penalty.—(1) Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section 3 shall, on conviction, be punished with a rigorous imprisonment for a term which shall not be less than one year but may extend to ten years and with fine which may extend to ten thousand rupees.

(2) Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section 4 or section 5 shall, on conviction, be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than six months but may extend to five years and with fine which may extend to five thousand rupees.

9. Punishment for causing hurt.—(1) Whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any bovine animal is said to cause hurt.

(2) Whoever intentionally causes hurt to a bovine animal shall, on conviction, be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to three years and with fine which may extend to three thousand rupees.

(3) Whoever abets the commission of an offence under sub-section (2), shall be guilty of abetment of the said offence and shall be liable for the same punishment as is provided for the said offence.

10. Punishment for intentionally injuring any bovine animal.—(1) Whoever intentionally causes grievous injuries to a bovine animal shall, on conviction, be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than one year but may extend to seven years and with fine which may extend to seven thousand rupees.

Explanation.—For the purpose of this section grievous injury shall include,—

- (i) emasculation (in the case of bull),
- (ii) permanent privation of sight of either eye,
- (iii) permanent privation of the hearing of either ear,
- (iv) privation of any member or joint,
- (v) fracture or dislocation of a bone or tooth,
- (vi) any hurt that endangers life or which causes the sufferer severe bodily pain and ultimately renders unfit or unserviceable.

(2) Whoever abets the commission of an offence under sub-section (1) shall be guilty of abetment of the said offence and shall be liable for the same punishment as is provided for the said offence.

11. Burden of proof.—Where any person is prosecuted for an offence under the provisions of this Act, the burden of proof that he had not committed the offence under the provisions of this Act shall be on him.

12. Power to enter and inspect places.—(1) For the purpose of this Act the Competent Authority or any person authorised in writing in that behalf by the Competent Authority (hereinafter in this section referred to as "the authorised person") shall have power to enter and inspect any place where the Competent Authority or the authorised person has reason to believe that an offence under this Act has been, or is likely to be committed.

(2) Every person in occupation of such place shall allow the Competent Authority or the authorised person such access to that place as may be necessary for the aforesaid purpose and shall answer to the best of his knowledge and belief any question put to him by the Competent Authority or the authorised person.

(3) For the purpose of enforcing the provisions of this Act, the Competent Authority or the authorised person, in exercising the powers of entry upon, and inspection of, any place under this section, follow, as far as may be, the provisions of section 100 of the Code, relating to the search or inspection of a place by a Police Officer.

13. Person exercising powers under this Act deemed to be public servant.—All persons exercising powers under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

14. Protection of persons acting in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall be instituted against any person for anything which in good faith is done or intended to be done under this Act or rules made thereunder.

15. Power to make rules.—The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for the purpose of carrying out the provisions of this Act.

16. Amendment of Rajasthan Act No. 4 of 1950.—As from the commencement of this Act section 2 and section 3 of the Rajasthan Preservation of Certain Animals Act, 1950 (Rajasthan Act No. 4 of 1950), hereinafter referred as aforesaid Act, shall stand deleted.

17. Savings.—The deletion of section 2 and section 3 of the aforesaid Act shall not—

- (i) affect any fine, penalty or punishment imposed or suffered in respect of any offence committed against the provisions of these sections of the aforesaid Act;
 - (ii) affect any investigation or legal proceedings pending in respect of incurring of any liability, imposing of any fine, penalty or punishment or any remedy available on the date of commencement of this Act;
 - (iii) affect the previous operation of these sections or anything duly done or suffered thereunder;
- and any such investigation, legal proceedings or remedy may be initiated, continued or enforced and any such fine, penalty or punishment may be imposed as if these sections have not been so deleted.

जे. पी. बंसल,

Secretary to the Government.

252
5/8/95

	राजस्थान राज-पत्र नियोजक	Regd. No. RJ. 2777/93 RAJASTHAN GAZETTE
	साधिकार प्रकाशित	Extraordinary Published by Authority
	भाद्र 3, शुक्रवार, शाके 1917-अगस्त 25, 1995 Bhadra 3, Friday, Saka 1917—August 25, 1995	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम ।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(गुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 24, 1995

संख्या प.2 (30) विधि/2/92:-राजस्थान राज्य विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिसे राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 1995 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995

(1995 का अधिनियम संख्या 23)

[राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 1995 को प्राप्त हुई]

गाय और उसकी नस्ल के वध के प्रतिषेध हेतु उपबंध करने और उसके राजस्थान से अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 है ।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "गो-मांस" से गोवंशीय पशु का मांस अभिप्रेत है;
- (ख) "गोवंशीय पशु" से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत है गाय, बछड़ा, बछिया, सांड या बैल;
- (ग) "सांड" से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष की आयु से ऊपर का कोई अवन्ध्यकृत नर अभिप्रेत है;
- (घ) "बैल" से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष की आयु से ऊपर का कोई वन्ध्यकृत नर अभिप्रेत है;
- (ङ) "बछड़ा" से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष और उससे कम की आयु का कोई वन्ध्यकृत या अवन्ध्यकृत नर अभिप्रेत है;
- (च) "संहिता" से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है;
- (छ) "सक्षम प्राधिकारी" से किसी जिले का कलक्टर अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत ऐसा कोई भी अन्य अधिकारी आता है जिसे राज्य सरकार के द्वारा, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों और ऐसी बलावधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये;
- (ज) "गाय" से गोवंशीय पशु प्रजाति की तीन वर्ष की आयु से ऊपर की कोई मादा अभिप्रेत है;
- (झ) "दण्ड आयुक्त" से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 15) की धारा 17 के अधीन राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त कोई आयुक्त अभिप्रेत है ;
- (ञ) "निर्वात" से राजस्थान राज्य से राजस्थान राज्य के बाहर के किसी भी अन्य स्थान को ले जाया जाना अभिप्रेत है ;
- (ट) "दुर्भिक्ष और अभाव से ग्रस्त क्षेत्र" से दुर्भिक्ष या अभाव से ग्रस्त ऐसा कोई क्षेत्र अभिप्रेत होगा जिसके बारे में राज्य सरकार के द्वारा

किसी समुचित विधि के अधीन, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, कोई घोषणा की गयी है;

(ट) "वाहिया" से गोवंशीय पशु प्रजाति की तीन वर्ष और उससे कम आयु की कोई मादा अभिप्रेत है;

(ड) "वध्र" से अभिप्रेत है किसी भी ढंग से और किसी भी प्रयोजन के लिए साशय मारना;

(ढ) "पाँचाहक" से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत है,-

(क) मोटर वान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) में यथापरिभाषित किसी माल गाड़ी के मामले में,-

(i) स्वामी, यदि चुकिंग उसके अनुदेश के अधीन या उसकी जानकारी से की जाये;

(ii) वान का तत्समय प्रभारी व्यक्ति;

(iii) माल या पशुधन की चुकिंग का तत्समय प्रभारी व्यक्ति;

(iv) प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, महाप्रबंधक या मुख्य कार्यपालक या, यथास्थिति, कारदार का प्रभारी कोई भी अन्य व्यक्ति (जहां स्वामी कोई कम्पनी हो) जब चुकिंगें उसके अनुदेश के अधीन या उसकी जानकारी से की जाये;

(v) किसी भागीदारी फर्म के मामले में भागीदार, जब चुकिंग उसके अनुदेश के अधीन या उसकी जानकारी से की जाये;

(ख) रेल माल गाड़ी के मामले में,-

(i) किसी रेल स्टेशन पर माल और पशुधन की चुकिंग का तत्समय प्रभारी व्यक्ति; और/या

(ii) ऐसा व्यक्ति, जो किसी रेल स्टेशन पर रेल रस्सीदे तैयार करता है;

(ग) ऐसा परिषदी जिसे पशुधन परिदत्त किया जाना है; और

(घ) किसी भी अन्य मामले में, पशुधन का वहन करने वाला या उसके साथ जाने वाला व्यक्ति।

3. गोवंशीय पशु के वध का प्रतिषेध.-तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी प्रथा या रीति में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी, कोई भी व्यक्ति किसी भी गोवंशीय पशु का वध नहीं करेगा या नहीं करवायेगा, उसे वध के लिए प्रस्थापित नहीं करेगा या नहीं करवायेगा।

4. गोमांस और गोमांस उत्पादों के कब्जे, विक्रय या परिवहन का प्रतिषेध.-तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कोई भी व्यक्ति गोमांस या किसी भी रूप में गोमांस उत्पादों का कब्जा, विक्रय या विक्रय के लिए परिवहन नहीं करेगा या विक्रय या परिवहन नहीं करवायेगा।

5. वध के प्रयोजन के लिए गोवंशीय पशु के निर्यात का प्रतिषेध और अन्य प्रयोजनों के लिए अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन.-कोई भी व्यक्ति किसी भी गोवंशीय पशु का स्वयं या अपने एजेंट, नौकर या अपने निमित्त कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति के जरिये, वध के प्रयोजनों के लिए या यह जानकारी होते हुए कि उसका वध किया जा सकता है या किया जाना संभाव्य है, राज्य के भीतर के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी स्थान को निर्यात नहीं करेगा और निर्यात नहीं करवायेगा।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राजस्थान के दुर्भिक्ष और अभाव से ग्रस्त क्षेत्रों से गोवंशीय पशु का किसी विधिमान्य परमिट के अधीन चराई के प्रयोजनों के लिए भारत में के अन्य राज्यों में अस्थायी प्रव्रजन विहित और इसमें आगे अधिकथित रीति से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(3) किसी भी दुर्भिक्ष और अभाव से ग्रस्त क्षेत्र में निवास करने वाला और किसी भी गोवंशीय पशु का प्रव्रजन चाहने वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसे क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले सक्षम प्राधिकारी को, गोवंशीय पशुओं की संख्या और उस राज्य या उन राज्यों के नाम, जिसमें या जिनमें प्रव्रजन प्रस्तावित है और ऐसी वातावरण, जिसके लिए परमिट अपेक्षित है, के सहित, प्रस्तावित प्रव्रजन के आवश्यक होने की परिस्थितियों का कथन करते हुए आवेदन करेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी उप-धारा (3) में निर्दिष्ट आवेदक के अनुरोध की वास्तविकता के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात् विहित प्ररूप में और रीति से उसे कोई परमिट मंजूर कर सकेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गोवंशीय पशु के राज्य से बाहर ऐसा अस्थायी प्रव्रजन अनुज्ञात किये जाने के पूर्व पहचान

3. गोवंशीय पशु के वध का प्रतिषेध.-तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी प्रथा या रूढ़ि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी, कोई भी व्यक्ति किसी भी गोवंशीय पशु का वध नहीं करेगा या नहीं करवायेगा, उसे वध के लिए प्रस्थापित नहीं करेगा या नहीं करवायेगा।

4. गोमांस और गोमांस उत्पादों के कब्जे, विक्रय या परिवहन का प्रतिषेध.-तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कोई भी व्यक्ति गोमांस या किसी भी रूप में गोमांस उत्पादों का कब्जा, विक्रय या विक्रय के लिए परिवहन नहीं करेगा या विक्रय या परिवहन नहीं करवायेगा।

5. वध के प्रयोजन के लिए गोवंशीय पशु के निर्यात का प्रतिषेध और अन्य प्रयोजनों के लिए अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन.-कोई भी व्यक्ति किसी भी गोवंशीय पशु का स्वयं या अपने एजेंट, नौकर या अपने निमित्त कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति के जरिये, वध के प्रयोजनों के लिए या यह जानकारी होते हुए कि उसका वध किया जा सकता है या किया जाना संभाव्य है, राज्य के भीतर के, किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी स्थान को निर्यात नहीं करेगा और निर्यात नहीं करवायेगा।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राजस्थान के दुर्भिक्ष और अभाव से ग्रस्त क्षेत्रों से गोवंशीय पशु का किसी विधिमान्य परमिट के अधीन चराई के प्रयोजनों के लिए भारत में के अन्य राज्यों में अस्थायी प्रव्रजन विहित और इसमें आगे अधिकांशतः रीति से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(3) किसी भी दुर्भिक्ष और अभाव से ग्रस्त क्षेत्र में निवास करने वाला और किसी भी गोवंशीय पशु का प्रव्रजन चाहने वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसे क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले सक्षम प्राधिकारी को, गोवंशीय पशुओं की संख्या और उस राज्य या उन राज्यों के नाम, जिसमें या जिनमें प्रव्रजन प्रस्तावित है और ऐसी बगलावधि, जिसके लिए परमिट अपेक्षित है, के सहित, प्रस्तावित प्रव्रजन के आवश्यक होने की परिस्थितियों का कथन करते हुए आवेदन करेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी उप-धारा (3) में निर्दिष्ट आवेदक के अनुरोध की वास्तविकता के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात् विहित प्ररूप में और रीति से उसे कोई परमिट मंजूर कर सकेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गोवंशीय पशु के राज्य से बाहर ऐसा अस्थायी प्रव्रजन अनुज्ञात किये जाने के पूर्व पहचान

चिट लगाये जाने के लिए उपबंध किया जा सकेगा और किसी भी मामले में उक्त प्रव्रजन की कालावाधि परमिट की मंजूरी की तारीख से ठीक अगले अगस्त मास से परे की नहीं होगी।

(5) ऐसे अस्थायी प्रव्रजन से लौटने पर उप-धारा (3) में निर्दिष्ट आवेदक सक्षम प्राधिकारी को अपने द्वारा वापस लाये गये गोवंशीय पशुओं की संख्या के बारे में लिखित सूचना, फेरफारों के, यदि कोई हों, स्पष्टीकरण के साथ, देगा।

(6) यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे गोवंशीय पशु राज्य में, और परमिट में निर्दिष्ट कालावाधि के भीतर-भीतर, वापस नहीं लाता है तो यह समझा जायेगा कि उसने उप-धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन किया है।

(7) सक्षम प्राधिकारी कृषिक या डेयरी उद्योग के प्रयोजनों के लिए या किसी पशु मेले में भाग लेने के लिए राजस्थान से गोवंशीय पशु के निर्यात के लिए विहित रीति से विशेष परमिट जारी कर सकेगा और ऐसी अनुज्ञा मंजूर करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसी निर्यात से ऐसे गोवंशीय पशु की संख्या किसी भी रीति से स्थानीय क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकता के स्तर से कम न हो जाये।

(8) उप-धारा (4), उप-धारा (6) या उप-धारा (7) के अधीन किये गये सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित, उप-धारा (3) में निर्दिष्ट कोई भी आवेदक या उप-धारा (7) के अधीन विशेष परमिट चाहने वाला, कोई भी व्यक्ति आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर खण्ड आयुक्त को आवेदन कर सकेगा और खण्ड आयुक्त ऐसे आवेदन पर या स्वप्रेरणा से किसी भी आदेश के सही होने, उसकी वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मामले का अभिलेख मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह न्यायसंगत और उचित समझे और ऐसा आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा और किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

6. परिवाहक का दुष्प्रेरक होना.-जब कभी इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किये जाने के उद्देश्य को अप्रसर करने में परिवाहक के किसी भी साधन से गोवंशीय पशुओं का परिवहन किया जाये तो परिवाहक उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा 8 के अधीन उपबंधित है।

7. अभिगृहीत गोवंशीय पशु की अभिरक्षा और निपटारा.- (1) जब कभी तलहशी या अभिग्रहण के परिणामस्वरूप या निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा गोवंशीय पशु अभिगृहीत किये जायें तो अभिगृहीत किये गये गोवंशीय पशुओं की अभिरक्षा, मामले का अंतिम निपटारा होने तक, सक्षम प्राधिकारी के आदेश से ऐसे पशुओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही किसी भी मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक एजेन्सी को या राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 (1960 का अधिनियम 24) के उपबंधों के अधीन शासित किसी गोशाला या किसी गोसदन को सौंपी जा सकेगी :

परन्तु जहां किसी भी स्थानीय क्षेत्र में कोई भी ऐसी स्वैच्छिक एजेन्सी या गोशाला या कोई गोसदन नहीं हो वहां सक्षम प्राधिकारी गोवंशीय पशुओं की अभिरक्षा क्षेत्र के बाहर की किसी भी ऐसी एजेन्सी या गोशाला या गोसदन को या किसी भी ऐसे अन्य उपयुक्त व्यक्ति को सौंप सकेगा जो ऐसे पशुओं को स्वेच्छा से रखना चाहे ।

(2) जहाँ कभी कोई मामला अंतिम रूप से निपटा दिया जाये तो गोवंशीय पशुओं की अभिरक्षा या स्थायी रूप से सौंपे जाने के बारे में आगे के आदेश सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ऐसे नियंत्रणों और शर्तों के अधीन रहते हुए जारी किये जायेंगे जो उचित समझी जायें ।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति उक्त आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर उसके विरुद्ध खण्ड आशुक्त को अपील कर सकेगा ।

(4) ऐसी अपील पर खण्ड आशुक्त अपीलार्थी और सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील का निपटारा होने तक आदेश के रोक दिये जाने का निदेश दे सकेगा या आदेश को उपान्तरित, परिवर्तित या वातिल कर सकेगा और ऐसे कोई भी और आदेश कर सकेगा जो न्यायसंगत हों ।

(5) जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई भी गोवंशीय पशु अभिगृहीत किया जाये तो सक्षम प्राधिकारी या खण्ड आशुक्त को, ऐसे पशु के कब्जे, पारदान, निपटारा या छोड़े जाने के संबंध में आदेश देने की अधिकारिता होगी और तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, किसी भी अन्य न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण को नहीं होगी ।

8. शास्ति.- (1) जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है वह, दोपसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु दस वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(2) जो कोई धारा 4 या धारा 5 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है वह, दोपसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

9. उपहति कारित करने के लिए दण्ड.- (1) जो कोई किसी भी गोवंशीय पशु को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग-शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति कारित करता है।

(2) जो कोई किसी गोवंशीय पशु को साशय उपहति कारित करता है वह, दोपसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(3) जो कोई उप-धारा (2) के अधीन किसी अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, वह उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध के लिए उपबंधित है।

10. किसी भी गोवंशीय पशु को साशय क्षति पहुंचाने के लिए दण्ड.- (1) जो कोई किसी गोवंशीय पशु को साशय गंभीर क्षतियां कारित करता है वह, दोपसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो सात हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए गंभीर क्षति के अन्तर्गत है-

- (i) पुंस्त्वहरण (सांड के मामले में),
- (ii) किसी भी आँख को स्थायी रूप से दृष्टिहीन करना,
- (iii) किसी भी कान को स्थायी रूप से श्रवण शक्तिहीन करना,
- (iv) किसी भी अंग या जोड़ को अलग करना,
- (v) किसी हड्डी या दांत का भंग या विस्थापन,

(vi) कोई भी ऐसी उपहति, जो जीवन को खतरे में डाले या जो उपहति को घोर शारीरिक कष्ट कारित करे और अन्ततः अनुपयुक्त या अनुपयोगी बना दे।

(2) जो कोई उप-धारा (1) के अधीन के किसी अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, वह उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध के लिए उपबंधित है।

11. सधृत का भार-जहाँ किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन के किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाये वहाँ यह सावित करने का भार उसी पर होगा कि उसने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपराध नहीं किया था।

12. स्थानों में प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्ति-इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को (जिसे इस धारा में इसके आगे "प्राधिकृत व्यक्ति" कहा गया है) ऐसे किसी भी स्थान में प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने की शक्ति होगी जहाँ सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन का कोई अपराध किया गया है या किया जाना संभाव्य है।

(2) ऐसे स्थान का अधिभोगी प्रत्येक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति की उस स्थान में पहुँच को अनुज्ञात करेगा जो पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हो और सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा उससे पूछे गये किसी भी प्रश्न का उत्तर अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार देगा।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तित कराने के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी स्थान में प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने में यावत्सक्य, किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी स्थान की तलाशी या निरीक्षण से संबंधित, संहिता की धारा 100 के उपबंधों का अनुसरण करेगा।

13. इस अधिनियम के अधीन की शक्तियों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का लोक-सेवक समझा जाना-इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले समस्त व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अन्तर्गत लोक-सेवक समझे जायेंगे।

14. सहायकपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण-किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य

विधिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जाएंगी, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की जायें या की जाने के लिए आशयित हों।

15. नियम बनाने की शक्ति.-राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

16. 1950 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 का संशोधन.-इस अधिनियम का प्रारम्भ होते ही, राजस्थान कतिपय पशु परिरक्षण अधिनियम, 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम सं. 4), जिसे इसमें आगे पूर्वोक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 और धारा 3 हटायी जाएंगी।

17. व्यावृत्तियां.-पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2 और धारा 3 का हटाया जाना,-

(i) पूर्वोक्त अधिनियम की इन धाराओं के उपबंधों के विरुद्ध किये गये किसी भी अपराध के संबंध में अधिरोपित या भुगते गये किसी भी जुर्माने, शास्ति या दण्ड को प्रभावित नहीं करेगा;

(ii) कोई भी दायित्व उत्पन्न करने, कोई भी जुर्माना, शास्ति या दण्ड अधिरोपित करने या उपलब्ध किसी भी उपचार के संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को लंबित किसी भी अन्वेषण या विधिक कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करेगा;

(iii) इन धाराओं के पूर्व-प्रवर्तन या इनके अधीन सम्यक् रूप से की गयी या भुगती गयी किसी बात को प्रभावित नहीं करेगा;

और ऐसे किसी भी अन्वेषण, विधिक कार्यवाहियों या उपचार को ऐसे संस्थित किया, जारी रखा या प्रवृत्त किया जा सकेगा, और किसी भी ऐसे जुर्माने, शास्ति या दण्ड को ऐसे अधिरोपित किया जा सकेगा मानो ये धाराएं इस प्रकार नहीं हटायी गयी हों।

जे. पी. चंसल,

शासन सचिव।



राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

Regd. No. RJ. 2777/93
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 5, बुधवार, शाके 1917--सितम्बर 27, 1995

Asvina 5, Wednesday, Saka 1917--September 27, 1995

भाग 4(ग)

उप-खण्ड(I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, अप विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम ।

पशुपालन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 15, 1995

जी. एस. आर. 65.—राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन (अधिनियम, 1995 को धारा 15 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

(क) इन नियमों का नाम राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध, और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 1995 है ।

(ख) ये राज-पत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :—

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(1) "अधिनियम" से राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन (अधिनियम, 1995 अभिप्रेत है।

W 551

119 (2)

राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 27, 1995

भाग 4 (ग)

- (2) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है;
- (3) "सरकार" और "राज्य" से क्रमशः राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;
- (4) इन नियमों में प्रयुक्त और अग्रिमभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमशः वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किये गये हैं।

3. गोवंशीय पशु के अस्थाई प्रव्रजन के लिए परमिट:-

- (1) इस अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन राजस्थान के दुग्धिश और अण्डाव से प्रस्तुत क्षेत्रों से राज्य में चराई के प्रयोजनों के लिए गोवंशीय पशुओं के अस्थाई प्रव्रजन की अनुज्ञा चाहने वाला कोई व्यक्ति, सक्षम प्राधिकारी को "प्ररूप-1" में आवेदन करेगा।
- (2) प्ररूप-1 में आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी गोवंशीय पशुओं के प्रस्तावित प्रव्रजन के आवश्यक होने की परिस्थितियों का परीक्षण और मूल्यांकन करेगा। आवेदन के अनुरोध की वास्तविकता के बारे में समाधान हो जाने के पश्चात् वह क्षेत्र के पशु-चिकित्सा अधिकारी को पशुओं के स्वास्थ्य की परीक्षा करने और प्रव्रजित किये जाने वाले पशुओं के शरीर पर स्थाई पहचान चिन्ह लगाने के आदेश जारी कर सकेगा।
- (3) पशु-चिकित्सा अधिकारी प्ररूप-4 में प्रमाण-पत्र जारी करेगा और गोवंशीय पशु के शरीर पर स्थायी पहचान चिन्ह लगायेगा।
- (4) गोवंशीय पशुओं के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी पशुओं को चराई के प्रयोजन से राजस्थान राज्य के बाहर ले जाने के लिए अनुज्ञात करते हुए प्ररूप-5 में परमिट जारी करेगा। गोवंशीय पशुओं के अस्थाई प्रव्रजन की कालावधि किसी भी स्थिति में परमिट की मंजूरी की तारीख के ठीक आगामी अगस्त मास से आगे नहीं बढ़ायी जायेगी।
- (5) ऐसे अस्थाई प्रव्रजन से लौटने पर आवेदक सक्षम प्राधिकारी को अपने द्वारा वापस लाये गये पशुओं के बारे में सूचना प्ररूप-8 में सरकार को, यदि ली जाये, भेजनी पड़ेगी।
- (6) राज्य में वापस लाये गये ऐसे गोवंशीय पशुओं की संख्या में सरकार का स्पष्टीकरण सक्षम से संपादित होना चाहिए।
- (7) यदि कोई व्यक्ति ऐसे गोवंशीय पशु राज्य में, और परमिट में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर भीतर, वापस नहीं लाता है तो वह अधिनियम के उपायों के अधीन दण्डनीय होगा।

552-210

4. कृषि या डेयरी उद्योग के प्रयोजनों के लिए निर्यात करने का विशेष परमिट :-

- (1) अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (7) के अधीन गोवंशीय पशु के, राजस्थान राज्य के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान को कृषि या डेयरी उद्योग के प्रयोजनार्थ निर्यात की अनुज्ञा चाहने वाला कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी को विशेष परमिट की मंजूरी के लिए प्ररूप-2 में आवेदन करेगा।
- (2) प्ररूप-2 में आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निर्यात से ऐसे गोवंशीय पशु की संख्या किसी भी रीति से स्थानीय क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकता के स्तर से कम न हो जाये।
- (3) अनुरोध की वास्तविकता के बारे में समाधान हो जाने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी सम्बन्धित पशु-चिकित्सा अधिकारी को गोवंशीय पशु के स्वास्थ्य की परीक्षा करने और उक्त पशु के शरीर पर स्थायी पहचान चिन्ह लगाने के आदेश जारी कर सकेगा।
- (4) पशु-चिकित्सा अधिकारी प्ररूप-4 में प्रमाण-पत्र जारी करेगा और गोवंशीय पशु के शरीर पर स्थायी पहचान चिन्ह लगायेगा।
- (5) सक्षम प्राधिकारी इस बात का समाधान हो जाने के पश्चात् विशेष परमिट जारी कर सकेगा कि गोवंशीय पशु केवल कृषि या डेयरी उद्योग के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लिये जायेंगे।
- (6) सक्षम प्राधिकारी पशुओं और उस स्थान के बारे में, जहाँ पशुओं का निर्यात किया जाना प्रस्तावित है, पूर्ण व्योरे देते हुए प्ररूप-6 में विशेष परमिट जारी करेगा।

5. पशु मेलों में भाग लेने के लिए विशेष परमिट:-

- (1) अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (7) के अधीन गोवंशीय पशु की पशु मेलों में भाग लेने के लिए राज्य से बाहर ले जाने की अनुज्ञा चाहने वाला कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप-3 में आवेदन करेगा।
- (2) प्ररूप-3 आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निर्यात से ऐसे गोवंशीय पशुओं की संख्या किसी भी रूप में स्थानीय क्षेत्र की वास्तविक अपेक्षा से नीचे न आ जाये।
- (3) आवेदन की वास्तविकता के बारे में समाधान होने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी गोवंशीय पशु के स्वास्थ्य की परीक्षा करने और ऐसे गोवंशीय पशु के शरीर पर स्थायी पहचान चिन्ह लगाने के लिए संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी को आदेश जारी कर सकेगा।
- (4) पशु-चिकित्सा अधिकारी प्ररूप-4 में प्रमाण-पत्र जारी करेगा और गोवंशीय पशु के शरीर पर स्थायी पहचान चिन्ह लगायेगा।

W. 533

(5) सक्षम प्राधिकारी आवेदन के अनुरोध की वास्तविकता के बारे में स्वयं का समाधान करने के पश्चात् पशु मेले में भाग लेने के लिए प्ररूप-7 में विशेष परमिट जारी कर सकेगा।

(6) पशु स्वामी, पशु मेले के पश्चात् अपनी वापसी पर अपने द्वारा वापस लाये गये गोवंशीय पशुओं की संख्या के बारे में फेरफार यदि कोई हो, के सबूत के साथ, प्ररूप-8 में सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा।

6. परिव्राट् गोवंशीय पशुओं की खराई के पूर्व यह सत्यापित करेगा कि इन पशुओं के लिए अधिनियम की धारा 5 के अधीन विधिमान्य विशेष परमिट जारी किया जा चुका है, ऐसा न होने पर वह अधिनियम की धारा 8 के अधीन दण्डनीय होगा।

7. गोवंशीय पशुओं का प्रभारी व्यक्ति गोवंशीय पशुओं को राज्य से बाहर ले जाते समय प्रव्रजन के लिए विधिमान्य परमिट या नियति के लिए विधिमान्य विशेष परमिट अपने साथ रखेगा।

ह.

(आई. एस. कावड़िया)
प्रमुख शासन सचिव।

प्ररूप सं. 1

राजस्थान राज्य के बाहर खराई के लिये गोवंशीय पशुओं के अस्थायी प्रव्रजन हेतु पर-
मिट अभिप्राप्त करने के लिये आवेदन

(नियम 3 देखिए)

प्रेषिती,

जिला कलक्टर/सक्षम प्राधिकारी,
जिला
राजस्थान।

महोदय,

मैं, पुत्र निवासी
डाकघर तहसील जिला राजस्थान
गोवंशीय पशु (वध का प्रतिवेध और अस्थायी प्रव्रजन या नियति का विनियमन) अधिनियम,
1995 की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन, गोवंशीय पशुओं को राजस्थान राज्य के
बाहर खराई के प्रयोजनार्थ ले जाने हेतु परमिट अभिप्राप्त करने के लिये, इसके द्वारा, आवे-
दन करता हूँ। पशुओं का विवरण और संख्या नीचे दिये गये हैं :—

1 पशुओं की किस्म:—गाय बछिया बछड़ा बैल सांड कुल बंकरा
पशुओं की संख्या:—.....

2. प्रव्रजन का प्रत्याशित दिन और तारीख:—
3. लौटने की अधि संभाव्य तारीख:—
4. उस राज्य का नाम और वह स्थान:—
जहाँ पशु प्रव्रजित किये जायेंगे और जहाँ से प्रव्रजित किये जायेंगे
5. परमिट चाहने का कारण:—
6. वह कालावधि, जिसके लिए परमिट अर्जित है:—

स्थान :—

दिनांक:—

आवेदक के हस्ताक्षर और पता

प्ररूप सं. 2

राजस्थान राज्य के बाहर कृषि/डेयरी उद्योग के प्रयोजनार्थ गोवंशीय पशुओं के निर्यात हेतु विशेष परमिट अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन ।

(नियम 4 देखिए)

प्रेषिणी,

जिला कलक्टर/सक्षम प्राधिकारी,
जिला
राजस्थान ।

महोदय,

मैं, पुत्र
निवासी तहसील
जिला राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का परिपेक्ष और
अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 5 की उप-
धारा (7) के अधीन गोवंशीय पशुओं के राजस्थान राज्य के बाहर कृषि/डेयरी उद्योग
के प्रयोजनार्थ निर्यात हेतु विशेष परमिट अभिप्राप्त करने के लिए, इसके द्वारा, आवेदन
करता हूँ । पशुओं का विवरण और संख्या नीचे दिये गये हैं :—

1. पशुओं की किस्म : गायें बछिया बछड़े बैल सांड कुल संख्या
पशुओं की संख्या
2. उस व्यक्ति का नाम और पता:—
जिससे पशु क्रय/प्राप्त किये गये :

3. परमिट चाहने का कारण:-
4. उस व्यक्ति का नाम और पता-
जो राजस्थान राज्य के बाहर
पशुओं को रखेगा:-
5. निर्यात का अधिसंभाव्य दिन
और तारीख-

स्थान :
दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर और पता

प्ररूप सं. 3

राजस्थान राज्य के बाहर पशु मेले में भाग लेने के लिए गोवंशीय पशुओं के निर्यात
हेतु विशेष परमिट अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन ।

(निधम 5 देखिए)

प्रेषिती,
जिला कलक्टर/सक्षम प्राधिकारी,
जिला
राजस्थान ।

महोदय,

मैं, पुत्र निवासी
डाकघर तहसील जिला राजस्थान
गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रजनन या निर्यात का विनियमन)
अधिनियम, 1995 की धारा 5 की उप-धारा (7) के अधीन निम्नलिखित विवरण
और संख्या वाले, गोवंशीय पशुओं के पशु मेले में भाग लेने के लिए निर्यात हेतु विशेष
परमिट अभिप्राप्त करने के लिए इसके द्वारा, आवेदन करता हूँ ।

1. पशुओं की किस्म : गायें बछिया बछड़ा बैल सांड कुल संख्या
पशुओं की संख्या: से को
2. उस स्थान और राज्य का नाम
जहाँ पशुओं का निर्यात किया जायेगा।
3. पशु मेले की नियम तारीख-
4. गोवंशीय पशुओं के निर्यात की
अधिसंभाव्य तारीख-
5. पशु मेले में भाग लेने के पश्चात्
लोटेने की अधिसंभाव्य तारीख-

स्थान :
दिनांक :

आवेदक के पूर्ण पते के
साथ हस्ताक्षर

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिबंध और अस्थायी प्रजनन या निर्यात का विनियमन)
नियम, 1995 के नियम 3 (3)/नियम 4 (4)/नियम 5 (4) के अधीन
स्वास्थ्य और पहचान प्रमाण-पत्र

सं.

दिनांक

प्रमाण-पत्र

मैं डा. प्रभारी, पशु चिकित्सालय/डिस्पेंसरी, प्रमाणित

करता हूँ कि मैंने श्री पुत्र

निवासी तहसील जिला

के नीचे वर्णित गोवंशीय पशु का परीक्षण किया है:-

1. पशु की किस्म आयु लिंग नस्ल
2. यदि मादा हो तो विनिर्दिष्ट करें गर्भवती/दुग्धीय/निर्दुग्ध
3. प्राकृतिक पहचान चिन्ह
(रंग, भंवरीयां, सींग, पूंछ की स्थिति वालों के गुच्छे सहित)
4. स्थायी पहचान चिन्ह

टीका अभिलेख

दिनांक

हीमोरेजिक सेप्टिफेमिया (गल बोट)

ब्लेक क्वार्टर (जहरबाद)

पैर और मुँह का रोग

रिण्डरपेस्ट (पशु माता)

अन्य कोई (विनिर्दिष्ट करें)

पशु चराई के प्रयोजनार्थ प्रजनन के लिए/कृषि या डेयरी उद्योग के प्रयोजनार्थ
निर्यात के लिए/पशु मेले में भाग लेने के लिए उपयुक्त है। (जो लागू न हो उसे काट दें)

स्थान :

दिनांक :

पशु चिकित्सा अधिकारी
के मुहर सहित हस्ताक्षर

W/ 55.7

119 (8)

राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 27, 1995

भाग 4 (ग)

प्ररूप सं.-5

गोवंशीय पशुओं के राजस्थान राज्य से बाहर प्रव्रजन के लिए परमिट

(नियम 3 देखिए)

परमिट सं.

दिनांक

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जिला कलक्टर/सक्षम प्राधिकारी, जिला, निम्नलिखित विवरण और संख्या वाले गोवंशीय पशुओं के राजस्थान राज्य से बाहर चराई हेतु प्रव्रजन के लिए, इसके द्वारा, अनुज्ञा देता हूँ:-

पशु के स्वामी का नाम

डाका का पूर्ण पता

पशु की किस्म: गाय बकिया बछड़ा बैल सांड कुल संख्या

पशुओं की संख्या:

पशु(ओं) के पहचान चिह्न

(स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र संख्या दिनांक के दिये गये अनुसार)

परमिट जारी करने की तारीख

परमिट दिनों के लिए से तक विधिमान्य होगा ।

आवेदक को ऊपर उल्लिखित गोवंशीय पशु परमिट के अमलान पर या उसके पूर्व वापस लाने होंगे और विहित प्ररूप में रिपोर्ट करनी होगी । यदि उसके द्वारा वापस लाये गये गोवंशीय पशुओं की संख्या में कोई भी कॅरफार हो तो वह उसके कारणों को सबूत सहित सूचित करेगा ।

स्थान :

जानाई की मुहर

दिनांक :

सक्षम प्राधिकारी के
हस्ताक्षर और पदाभिधान

गोवंशीय पशुओं के राजस्थान राज्य से बाहर कृषि/डेयरी उद्योग के प्रयोजनार्थ निर्यात
के लिये विशेष परमिट

(नियम 4 देखिए)

परमिट संख्या: _____

दिनांक: _____

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशोध और अस्वाधी प्रजनन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 5 की उप-धारा (7) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जिला कलेक्टर/सक्षम प्राधिकारी, जिला _____ निम्नलिखित विवरण और संख्या वाले गोवंशीय पशु (ओं) को राजस्थान राज्य के बाहर कृषि/डेयरी उद्योग के प्रयोजनार्थ निर्यात के लिए, इसके द्वारा अनुज्ञा देता हूँ।

पशुओं की विस्म: गाय बछिया बछड़ा बैल सांड पशुओं की कुल संख्या

पशुओं की संख्या: _____

पशुओं के पहचान चिन्ह

(स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र संख्या: _____ दिनांक: _____ में दिये गये अनुसार)

उस व्यक्ति का नाम और पता जिससे पशु खरीदे गये/प्राप्त किये गये।

उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे

पशु निर्यात किये जाने हैं।

स्थान:

कार्यालय की मुहर

दिनांक:

सक्षम प्राधिकारी के
हस्ताक्षर और पदाभिधान

559

119 (10)

राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 27, 1995

भाग 4 (ग)

प्रकरण सं-7

राजस्थान राज्य के बाहर पशु मेले में भाग लेने हेतु गोवंशीय पशुओं के निर्यात के लिए विशेष परमिट

(नियम 5 देखिए)

परमिट सं.-----

दिनांक-----

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 5 की उप-धारा (7) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जिला कलेक्टर/सक्षम प्राधिकारी, जिला----- निम्नलिखित विवरण और संख्या वाले गोवंशीय पशु (ओं) को राज्य----- जिले के----- (स्थान) पर पशु मेले में भाग लेने हेतु राजस्थान राज्य के बाहर निर्यात के लिए, इसके द्वारा, अनुज्ञा देता हूँ ।

स्वामी का नाम और पता-----

पशुओं की किस्म : गाय बछिया बछड़ा बैल सांड पशुओं की कुल संख्या

पशुओं की संख्या : -----

पशु(ओं) के पहचान चिन्ह

(स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र संख्या----- दिनांक----- में दिये गये अनुसार)

परमिट जारी करने की तारीख

परमिट----- दिनों के लिए, ----- से----- तक विधिवान् रहेगा ।

अभ्यवेदक को ऊपर उल्लिखित गोवंशीय पशु परमिट के अवधान पर या उसके पूर्व वापस लाने होंगे और विहित प्रकृति में रिपोर्ट करनी होगी । यदि उसके द्वारा वापस लाने गोवंशीय पशुओं की संख्या में कोई भी फेरफार हो, तो वह उसके कारणों को सन्तुष्ट मति में सूचित करेगा ।

स्थान : कार्यालय की मुहर

दिनांक :

सक्षम प्राधिकारी, के
हस्ताक्षर और पदाभिधान

प्रकरण सं. 8

राजस्थान राज्य में वापस लाये गये गोवंशीय पशुओं की संख्या में फेरफार की रिपोर्ट के लिए आवेदन

(नियम 3 और 5 देखिए)

प्रेमिती,

जिला कलेक्टर/सक्षम प्राधिकारी,

जिला

राजस्थान।

मैं,

पुत्र

निवासी तहसील जिला
परमिट सं. दिनांक के अधीन निम्नलिखित
संख्या में गोवंशीय पशुओं को चराई/पशु मेले में भाग लेने के लिए ले गया था:—

- | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 1. पशुओं की किस्म: | गाय | बछिया | बछड़ा | बैल | सांड | कुल संख्या |
| 2. पशुओं की संख्या: | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 3. स्थायी पहचान चिन्ह | | | | | | |

अब मैं, निम्नलिखित संख्या में पशुओं को राजस्थान राज्य में वापस लाया हूँ:—

- | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 1. पशुओं की किस्म : | गाय | बछिया | बछड़ा | बैल | सांड | कुल संख्या |
| 2. पशुओं की संख्या : | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 3. स्थायी पहचान चिन्ह | | | | | | |

अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (5) और इन नियमों के नियम 3 के उप-नियम (5) और उप-नियम (6) के अधीन मैं, इसके द्वारा, राज्य में वापस लाये गये पशुओं की संख्या में फेरफार को सबूत सहित निम्नलिखित रूप से सूचित करता हूँ:—

मृत/पशु मेले में डेयरी उद्योग के प्रयोजनार्थ विक्रीत गायों की संख्या
मृत/पशु मेले में डेयरी उद्योग के प्रयोजनार्थ विक्रीत बछियों की संख्या
मृत/पशु मेले में कृषि/डेयरी प्रयोजनार्थ विक्रीत बछड़ों की संख्या
मृत/पशु मेले में कृषि प्रयोजनार्थ विक्रीत बैलों की संख्या
मृत/पशु मेले में कृषि/नरल प्रयोजनों के लिए विक्रीत सांडों की संख्या
(मृत्यु की दशा में, मृत्यु/शव परीक्षण प्रमाण-पत्र सबूत के रूप में संलग्न करें और पशु मेले में विक्रय की दशा में विधिमान्य विक्रय प्रमाण-पत्र संलग्न करें।)

स्थान :

परमिटधारक के हस्ताक्षर

दिनांक :

और पूर्ण पता

[क्रमांक : ए. 2 (63) कु-VI/88—III]

है.
(आई. एस. काकडिया)
प्रमुख शासन सचिव